SEMESTER - 4

EC- 1

Popular Movements

- **Unit – 3 : Gender Movements in India**
  Women & Social Reform Movements in Colonial India

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 09835463960

Presented by:

शिप्रा नंदन

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 8604171178

nandan.shiprabhu@gmail.com

औपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधारआंदोलन और महिलाएँ

ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक लाभ था, किन्तु भारत की राजनीतिक अव्यवस्था और यहाँ की विशाल संपत्ति को देखते हुए कंपनी ने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया तथा आगे चलकर भारत, इंग्लैंड, का उपनिवेश बन गया और यहाँ औपनिवेशिक सरकार ने राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य आरंभ किया! अंग्रेज़ो ने कभी भी भारत की सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहा, किन्तु उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आ खड़ी हुई, जिसके कारण उन्हें भारत की सामाजिक - धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ा! भारत में १८-१९ वी सदी में सामाजिक स्तर पर अनेक कुप्रथाएं विद्यमान थी, जिसके कारण समाज में मुख्यतः महिलाओं की स्थिति काफी असंतोषजनक हो चुकी थी! महिलाओं की इस असंतोषजनक स्थिति को सुधारने का कार्य तत्कालीन समाज-सुधारको ने किया! १९वी सदी को भारत में महिलाओं की सदी कहा जाता है, क्योकि इसी दौरान सती, विधवा - पुनर्विवाह, बाल-विवाह, संपत्ति की आयु, वेश्यावृत्ति इत्यादि के सम्बन्ध में सुधार आंदोलन चले व कानून भी बनाए गए!

तत्कालीन समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर संक्षिप्र विवरण - पर्दा प्रथा भी महिलाओ की असंतोषजनक स्थिति का एक प्रमुख कारण था, पर्दा प्रथा का प्रारम्भ सामान्यतः भारत में आदि काल से ही रहा है, परन्तु मुस्लिम आक्रमण के बाद यह प्रमुखता से उभरा! राजपूत स्त्रियाँ प्रमुख रूप से इस प्रथा को धारण करती थी, वही मुस्लिम महिलाओ में भी इस प्रथा को कठोरता से अपनाया गया, जिसे बुर्का नाम दिया गया! यह कही न कही महिलाओ की स्वतंत्रता के हनन का प्रतिक था, जिसके खिलाफ अनेक समाजसेविकाओ ने आवाज़ उठाई! कन्या-वध भी तत्कालीन समाज की प्रमुख कुप्रथा थी, जो प्रमुख रूप से उच्च जाति व वर्ग में प्रचलित था! यह बनारस, काठियावाड़, कच्छ के राजपूतो, जोधपुर के राठोड़ो, जयपुर के कच्छवाड़ , राजपूतो , जालंधर के बेदी, तथा अन्य राजवंशो में प्रचलित था! पंजाब में कभी-कभी लगातार एक घर में कई कन्याओ के जन्म होने पर मनौती मांगी जाती थी, कि तू जा भाई को भेज और उस कन्या का वध कर दिया जाता था! यही कारण है कि कन्या-वध को उस समाज में प्रोत्साहित किया जाता था, जिसके पीछे कृत्सित मानसिकता ही प्रमुख कारण थी! इस समय बाल-विवाह भी महिलाओ कि सामाजिक गुलामी का एक प्रमुख कारण था! कन्या-वध से जो लड़किया बच जाती थी, उनका अल्पायु में ही विवाह

करना समाज ने अपना नैतिक दायित्व मान लिया था! शारीरिक व मानसिक स्तर पर जब लड़किया दुर्बल होती थी, तो विवाहोपरांत इसका बहुत ही नकारात्मक असर देखने को मिलता था! गर्भधारण करने व बच्चा जन्मने के साथ ही लड़कियों की मृत्यु हो जाती थी! बाल-विवाह का प्रचलन बंगाल में प्रमुख रूप से था, जहा ७०-८० वर्ष के वृद्ध व्यक्ति से ७-१० वर्ष की अबोध बालिकाओ का विवाह कर दिया जाता था, जिसके कारण कई लड़कियों को विधवा का विभतस्य जीवन जीने को विवश होना पड़ता था!

अल्पायु में विवाह व बूढ़े व्यक्ति से विवाह होने के कारण विधवा का जीवन जीने के लिए लड़कियों को मजबूर किया जाता था! अगर किसी विधवा की पुनर्विवाह की तो भय दिखाकर उसकी इच्छाओ का दमन किया जाता था! १८९१ की जनगणना के अनुसार भारत में १९ प्रतिशत हिन्दू महिलाएँ विधवा थी! इसके अलावा तत्कालीन समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी! अर्थात एक व्यक्ति की कई पत्नियां हो सकती है! इसी तरह महिलाओ की सोचनीय दशा का एक प्रमुख कारण 'सती-प्रथा' थी! सती-प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख भानुगुप्त के ' एरण अभिलेख ' से मिलता है! प्राचीन काल में यह स्वैच्छिक प्रथा थी! अर्थात महिलाएँ अपने पति की मृत्यु के बाद स्वैच्छा से उसके चिता पर बैठकर अपने भी प्राण त्याग कर देती थी, जिसे सतीत्व धर्म की संज्ञा दी गई, परन्तु आगे चलकर इसने विभत्स रूप धारण कर लिया! यह प्रथा बंगाल, राजस्थान में प्रमुख रूप से विद्यमान थी, जिसका प्रमुख कारण उस समय का उत्तराधिकारी अधिनियम को भी इतिहासकारो ने माना है! कुलीन वर्ग के लोग संपत्ति का बटवारा विधवा स्त्री के साथ नहीं करना चाहते थे! इसलिए भी उन्होंने जबरन विधवा स्त्रियों को सती करवाना जारी रखा! इसके अतिरिक्त वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा इत्यादि कई सामाजिक कुप्रथाएँ थी, जिन्होंने महिलाओ की स्थति को असंतोषजनक बना दिया था! इन्ही कुरीतिओ के खिलाफ १८-१९वी सदी के समाज - सुधारको ने आवाज़ उठाई, जिनका साथ महिलाएँ व कई समाज-सुधारक संगठनों ने भी दिया!

सती प्रथा को उन्मूलित करने का कार्य पुर्तगाली नाविकों व मुग़ल बादशाहो द्वारा किया गया, परन्तु इसमें सफलता राजा राममोहम राय को मिली! राय ने 'ए कांफ्रेंस बिटवीन एन एडवोकेट फॉर एण्ड एन अपोनेंट टू दि प्रैक्टिस ऑफ़ बर्निंग विडोज अलाइव' नामक पुस्तक में सती का उल्लेख किया है! राजा राम के

प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जेनरल बिलियम बैटिक ने सती - प्रथा निषेध अधिनियम - १८२९ पारित किया, जिसके विरोध में बंगाल के रूढ़िवादी ब्राह्मणो ने एक याचिका भी दी जिसमे राधाकांत देव व उनकी संस्था 'देवसमाज' की महत्वपुर्ण भूमिका! अंततः उनकी अपील को ख़ारिज कर दिया गया और इस अधिनियम को धीरे-धीरे सभी प्रांतो में लागू कर दिया गया! राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मसमाज की स्थापना की, जिसने आगे भी समाज-सुधार का कार्य जारी रखा! राय ने महिलाओ को उत्तराधिकार में हिस्सा देने के लिए याज्ञवलस्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति, व्यास आदि धर्मशास्त्रियों का उल्लेख करके एक लेख लिखा, जिसमे उन्होंने बताया कि पति की छोड़ी हुई संपत्ति में उसके मृत्यु पश्चात् उसकी पत्नी को अपने पुत्र के समान भाग मिलना चाहिए और पुत्री को एक चौथाई! इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल विवाह, दहेज़ प्रथा, विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह के सम्बन्ध में भी अनेक सराहनीय कार्य किया!

विधवाओं की स्थिति संतोषजनक करने के लिए यह आवश्यक था कि उनका पुनर्विवाह हो, विधवा स्त्रियाँ पर्याप्त शिक्षित हो तथा अपनी आर्थिक स्थिति के लिए किसी और पर निर्भर न रहे! समाज-सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए उन्होंने पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया! उन्होंने 'विडो रिमैरिज' नामक पुस्तक लिखी, जिसमे लिखा कि पांच कारणों से विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है - पति की मृत्यु, पति के सन्यास लेने, यदि पति नपुंसक हो, बीमार हो या चरित्रहीन हो! विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ही १८५६ इ. में 'विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' पारित किया गया! ईश्वरचंद ने १८७१ में 'consideration whether polygomy should be abolished ' नामक पुस्तक लिखकर बहुपत्नी विवाह का विरोध किया! विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को समझा और जे. इ. ड्रिंकवाटर बैथ्यून के साथ मिलकर १८४९ में कलकत्ता में 'हिन्दू बालिका विद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर 'बैथ्यून महाविद्यालय ' बना! इस महाविघालय में चंद्रमुखी बसु नामक पहली लड़की ने एम.ए. पास किया , तब विद्यासागर ने उसे अपने पास की सेक्सपियर की सभी पुस्तके इनाम स्वरूप दे दी!

बाल विवाह के सम्बन्ध में महत्वपुर्ण कार्य बहरामजी एम. मालाबारी का है! उन्होंने Infant Marriages in India and Enforced Widows में बाल विवाह को महिलाओ की निम्न स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसके सम्बन्ध में देशव्यापी दौरा किया! राष्ट्रीय सामाजिक परिपद ने भी एक प्रस्ताव पारित कर

सरकार की इंडियन पंजिका कोड में संशोधन कर १२ वर्ष के नीचे की अविवाहित और विवाहित महिलाओ को सुरक्षा प्रदान करने की अपील की! १८९० की एक घटना ने इस आंदोलन को तेजी से बढ़ाया! ११ वर्ष की एक कन्या 'फूलमनी दासी' की मृत्यु अपने पति द्वारा जबरदस्ती करने से हुई, पति पर हत्या का आरोप लगाकर १० वर्ष कारावास की सजा दी गई! इसके पश्चात् १८९१ में Age of Consent Act पारित कर, १२ वर्ष से काम आयु की कन्याओ के विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया गया! मालबारी का सहयोग महादेव गोविन्द रानाडे और संस्था प्रार्थना समाज ने भी किया! रानाडे ने १८६१ में महाराष्ट्र में विधवा विवाह संस्था बनाई! इसके अतिरिक्त कन्या शिक्षा के लिए उन्होंने १८८४ में कन्या विघालय की स्थापना की तथा विधवाओं की दशा सुधारने वाली संस्था 'भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद' के साथ मिलकर रानाडे ने अनेक महत्वपुर्ण कार्य किए! डी. के. कर्वे. ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन होने के लिए 'विधवा महिला संघ' को पुनर्जीवित किया! कर्वे ने 'हिन्दू विवाह गृह की स्थापना की तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए १९०६ में प्रथम 'महिला विश्वविघालय' की स्थापना की!

महाराष्ट्र के दयानन्द सरस्वती ने वेदो पर आधारित शिक्षा व समाज की बात कही तथा उन्होंने १८७५ में 'आर्य समाज' की स्थापना की! दयानन्द ने महिलाओ के विवाह के लिए उनके विकसित आयु को ही सही माना तथा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्त्री शिक्षा, विवाह सम्बंधित कई बातो का उल्लेख किया है! उन्होंने बताया कि लड़की को विवाह हेतु वर चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होने चाहिए! पंडिता रमाबाई ने १८८९ में 'शारदा सदन' नामक विधवाश्रम की स्थापना की! रमाबाई की विद्धता के कारण उन्हें पण्डिता उपनाम दिया गया! हाईकास्ट हिन्दू वुमेन में उन्होंने अपनी जीवन की कठिनाइयों का वर्णन करके हिन्दू समाज को आईना दिखने का कार्य किया! रमाबाई ने विधवाओं की स्थिति सुधारने हेतु निम्न सुझाव दिए -

- विधवाओं के लिए ऐसे आश्रम खोला जाए, जहा वे बिना किसी डर के रहे तथा उसके धर्म को कोई आपत्ति न पहुंचे!

- आश्रम में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे शिक्षक , नर्स अथवा हस्तकला में प्रशिक्षित हो; आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके!

- ये आश्रम ऐसे हिन्दू पुरुष व महिला द्वारा चलाए जाए, जिन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया हो!

- अमेरिकन प्रशिक्षिकाओं की नियुक्ति, जिससे कि वे विधवाओं को पूर्व और पश्चिम की सभ्यता का ज्ञान दे सके!

- इन आश्रमों में पुस्तकलयो की व्यवस्था हो ताकि महिलाएँ इतिहास, विज्ञान, कला, धर्म, साहित्य आदि का ज्ञान प्राप्त कर सके!

स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उन्होंने भारतीय समाज की दो बुराइयों को प्रमुख माना है, जाति प्रथा व स्त्रियों की दयनीय स्थिति! उनका मानना था कि यदि महिलाओ को उचित शिक्षा दी जाती तो वे अपनी समस्याएँ स्वयं ही सलझा लेती! स्वामीजी ने स्त्री के लिए निम्न सुझाव दिए -

- स्त्री शिक्षा का प्रसार सर्व साधारण में होना चाहिए!

- स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार ब्रह्मचारिणियों द्वारा होना चाहिए!

- शिक्षा का प्रसार करते समय सीमान उपलब्ध सस्ते वैज्ञानिक साधनो का प्रयोग करना चाहिए!

- चरित्र व नैतिकता की शिक्षा सीता जैसी महान देवी का आदर्श रखकर देनी चाहिए!

स्वामीजी के आलावा श्रीमती ऐनी बेसेन्ट का महिलाओ को सुनिश्चित करने में अहम योगदान है! बेसेन्ट आयरिश महिला थी, परन्तु फिर भी उन्होंने सदैव भारत की स्वतंत्रता व यहाँ के स्त्रियों की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपनी अहम भूमिका निभाई! बेसेन्ट ने बाल विवाह का विरोध किया और तर्क दिया कि इससे बीमारी फैलती है तथा लड़किया जल्दी व्यस्क हो जाती है! इसके साथ ही उन्होंने विधवाओं (कम उम्र की) की पुनर्विवाह की वकालत की! उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय जीवन में पुरुष जिन समस्याओ का सामना कर रहे है, अगर महिलाएँ सुशिक्षित होती, तो वे उनकी समस्याओ को सुलझाने में उनकी मदद करती! इसके आलावा उन्होंने १८९८ में बनारस में सेंट्रल हिन्दू बॉयज / गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जिसके तर्ज पर १९१६ में काशी हिन्दू विश्वविघालय की नीव पड़ी! स्वतंत्रता संग्राम में मिसेज बेसेन्ट ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया व १९१७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और अपने प्रत्येक कार्य से महिलाओ के लिए प्रेरणा का कार्य किया!

सर सैय्यद अहमद खां ने जिस उदारवादी, समाज-सुधार व सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत की, उसे अलीगढ आंदोलन के नाम से जाना जाता है! अहमद खां ने मुस्लिम स्त्रीयो को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया! ज्योतिबा फुले, जिन्होंने महाराष्ट्र में 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की! फूले आजीवन सामाजिक सुधार में लगे रहे! उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले को भारतवर्ष की प्रथम शिक्षिका माना जाता है! ज्योतिबा फूले ने एक 'गृह' की स्थापना की, जहा विधवा व उनके समाज द्वारा अस्वीकृत बच्चे का पालन-पोषण किया जा सके! ऐसा उन्होंने महिलाओ को वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए किया था! फूले ने स्त्री-पुरुष एकता पर बल दिया तथा उन्होंने मराठी भाषा में विवाह गीत (मंगलाष्टक) रचे, जो स्त्री-पुरुष को समान दर्जा दिला सके! इसके अलावा उन्होंने कई स्त्री पाठशालाओं की स्थापना की!

समाज-सुधारक व महिलाओ की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई महिलाओ द्वारा संगह ठन बनाए गए! रविंद्रनाथ टैगोर की बहन स्वर्ण कुमारी देवी ने १८८२ में कलकत्ता में लेडीज सोसाइटी का गठन किया! १८८२ में ही रमाबाई ने 'आर्य महिला समाज' का गठन किया! १८८७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 'नेशनल सोशल कांफ्रेंस' का गठन किया गया और १९०५ में भारत महिला परिषद के नाम से महिला शाखा का गठन किया गया! १९१० में सरला देवी चौधरानी ने 'भारत स्त्री मंडल' का गठन किया! २०वी सदी की शुरुआत में राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर अनेक महिला संगठनों की स्थापना हुई जैसे १९१७ में वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, १९२५ में नेशनल कॉउंसिल फॉर वुमेन, १९२७ में आल इंडिया वुमेंस कांफ्रेंस, १९२९-३० में शारदा अधिनियम पारित किया गया! इसके अलावा विभिन्न शहरों व कस्बो में अनेकानेक महिलाओं द्वारा संगठन खोले गए, जिनका एकमात्र उद्देश्य महिलाओ के कल्याण हेतु उनकी सामाजिक - आर्थिक - राजनीतिक दशाओ में सुधार करना था!